

!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस-नोट

दिनांक:- 20.04.2017

➤ 02 वारन्टी गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक करौली, अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में मफरूर/स्थाई वारन्टी/वारन्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.04.2017 को थाना कोतवाली करौली द्वारा 02 वारन्टीयों को गिरफ्तार करने में सफलता हांसिल हुई है।

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 20.04.2017 को बृजराज शर्मा हैड कानि. 105 के द्वारा न्यायालय सीजेएम करौली के कोर्ट केस नं0 685/15 की पालना में गिरफ्तारी वारंटी 1. प्रेमप्रकाश पुत्र जुगल किशोर शर्मा 2. नरेन्द्र पुत्र रोशन जागा निवासीगण बग्गीखाना थाना कोतवाली करौली को गिरफ्तार किया गया।

➤ शराब पीकर उत्पात मचाने पर 01 व्यक्ति गिरफ्तार –

थाना सदर करौली – दिनांक 19.04.2017 को श्रीकिशन हैड कानि0 08 के द्वारा दौराने गस्त गंगापुर मोड पर शराब पीकर उत्पात मचाने पर आरोपी 1. मदनमोहन पुत्र दुर्गालाल जाति माली निवासी ट्रक युनियन करौली को धारा 510 आईपीसी में गिरफ्तार किया गया।

➤ शांति भंग करने पर 05 व्यक्ति गिरफ्तार –

थाना कोतवाली करौली – दिनांक 19.04.2017 को बृजराज शर्मा हैड कानि0 105 के द्वारा बस स्टेण्ड करौली पर गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. देवेन्द्र उर्फ पिन्दू पुत्र धर्मसिंह मीणा निवासी डरूआपुरा कोसरा थाना सदर करौली को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना मासलपुर – दिनांक 20.04.2017 को थानसिंह हैड कानि. 1524 के द्वारा दौराने गस्त गाली गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. श्योदान पुत्र कन्हैया 2. पीतम पुत्र कन्हैया कहार निवासी तलहटी थाना मासलपुर को बस स्टेण्ड से तथा 3. भूपेन्द्र पुत्र नत्थी जाटव निवासी मासलपुर को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।

थाना टोडाभीम – दिनांक 20.04.2017 को सुरेश सांवरिया हैड कानि. 1518 के द्वारा दौराने जांच परिवाद गलोंच कर उत्पात मचाने तथा मरने मारने पर उतारू होने पर एवं पुलिस द्वारा काफी समझाईस करने पर, नहीं मानने पर आरोपी 1. रघुवीर पुत्र जयराम मीणा निवासी खेडी थाना टोडाभीम को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।